तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरों के साथ | अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करने के दौरान वादिनी विपक्षी क्र. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र दिये लेकिन तथ्यों के बदलकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की बात कही। जबकि वादिनी प्रार्थिका के प्रार्थना पत्र को यथावत किये जाने की बात कही। दोनों पक्षावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विपक्षी क्र. 1 व 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही दिनांक 16-1-14 को हुई। जबकि वादिनी विपक्षी क्र. 1 व 2 की तरफ से तरफा कार्यवाही किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.3.15 को प्रस्तुत किया, जबकि वादिनी प्रार्थिका के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि प्रस्तुत नहीं मन मनीष चमार के विरुद्ध प्रस्तुत किया। किया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेरूल किया है। अतः न्याय हित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 09 R 7 व धारा 151 आ०वि० में 200/- रुपये COST पर स्वीकार किया जाकर एक तरफा कार्यवाही के दिनांक तक 5X की तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वादी विपक्षी के विरुद्ध दिनांक 9-5-17 को 1 व 2 के जवाब देह पत्रावली दिनांक 10-10-17 को पेश हो। आगामी दिनांक तक अभी इस्तगासी निरोधाज्ञा बहाल की जाती है।

22-6-17 पत्रावली कोम्प.....लु. शाखा.....को पेश हुई।
आगामी दिनांक.....10.10.17.....को पेश हो।
पूर्व का आदेश अग्रिम रहेगा।

12-7-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत के लिए बकाया में पेश हुई। इस वाद क्र. 130/14 रा-वाद धारा 88-89 R.T.A. के प्रकरण में कार्यवाही राजीनामा हो जाने के कारण तथा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने के कारण में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रहने के प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना धारा 82 R.T.A. ~~के अन्तर्गत~~ का निर्णीत किया जाता है पत्रावली के कम्प्यूटर की जाकर इस वाद के काम फैसला की जावे।

अधिकारी
माण्डल